न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 13/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/105)

निर्णय दिनांकः 30-11-2023

1. खुमाराम
2. दुलाराम
3. बंशीराम

समस्त पुत्रगण देवाराम जाति मेघवंशी निवी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. गैनाराम
5. पुरखाराम
6. कालूराम
7. ओमाराम
8. जेती

पुत्रगण बिरमाराम

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. जगराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 31—03—2021

उपस्थितः—

1. श्री हरीशचन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 31–03–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स के तहसील नोखा के ग्राम मैनसर स्थित खेत खसरा नम्बर 705 तादादी 13.11 हेक्टर भूमि में से रास्ता प्रदान करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी जोत खेत खसरा नम्बर 1654/709 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत पड़ौसी खातेदार भागीरथ पुत्र सांवताराम के खेत खसरा नम्बर 710 व खातेदार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मांगीलाल पुत्र हरखुराम के खेत खसरा नम्बर 702 में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 705 के संबंध में भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 705 की मौके अनुसार सींव के सापेक्ष रास्ते की संभावना नहीं है क्योंकि मौके पर ऊंचें टीले व खड्डे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्स को पूर्व से ही अपना जोत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी नया रास्ता कायम करने के आदेश विधि विरूद्व व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रदान किये गये है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 403, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 423, आरआरटी 2021 पार्ट II पेज 1286, सीसीसी 2007 पार्ट III पेज 217 व एसीजे 2020 पार्ट I पेज 50 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मैनसर के खेत खसरा नम्बर 707 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 1654/709 रकबा 3.00 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु अन्य को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 705 तादादी 11.57 हेक्टर भूमि में से रास्ते की मांग की गई क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते से ही अपनी जोत में आवागमन करते आ रहे है। अपीलांट्स द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दिये जाने व रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो आवागमन में असुविधा होगी तथा उसके हितों पर कुठाराधात होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी पूर्व से ही अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1654/709 से आता जाता रहा है तथा इसी के साथ यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को अप्रार्थी खुमाराम आदि के खेत खसरा नम्बर 705 तादादी 13.11 हेक्टर भूमि मेंसे मार्ग दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खेत खसरा नम्बर 705 में से 178X6 = 1068 मीटर रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2023 पार्ट I पेज 699 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा तहसील नोखा के ग्राम मैनसर के खेत खसरा नम्बर 705 में से 178X6 = 1068 मीटर रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को अपनी जोत खेत खसरा नम्बर 1654/709 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 (ए) के प्रावधाना प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांट्स की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है। इससे विपरीत रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है।

हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 705 में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 4–11–2019 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के पैश्रा संख्या 1 में अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को अप्रार्थी खुमाराम आदि के खेत खसरा नम्बर 705 तादादी 13.11 हेक्टर रोही मैनसर में से मार्ग दिया जाना उचित है। इसी प्रकार पैरा संख्या 3 में अभिलिखित किया गया है कि वर्तमान में प्रार्थी अपने से पूर्वी व दक्षिणी खेतों से होकर अस्थाई रूप से आ जा रहा है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जोकि दिनांक 18–02–2020 को संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई व दिनांक 20–02–2020 को उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 705 की मौके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुसार सींव के सापेक्ष रास्ते की संभावना नहीं है क्योंकि मौके पर ऊंचें टीले व खड्डे है। इसी प्रकार पैरा संख्या 4 में अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी पड़ौसी खातेदार भागीरथ पुत्र सांवताराम नाई के खसरा नम्बर 710 में डी से ई लम्बाई 132 मीटर चौड़ा 6 मीटर क्षेत्रफल 0.0792 हेक्टर व खसरा न म्बर 702 खातेदार मांगीलाल पुत्र हरसुखराम नाई में ई से एफ लम्बाई 364 मीटर, चौडाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.2184 हेक्टर, इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग कर रहे मार्ग की कुल लम्बाई डी से ई तक 496 मीटर चौडाई 6 मीटर क्षेत्रफल 0.2976 हेक्टर है, उक्त उपयोग किये जा रहे मार्ग पर अस्थाई रूप से कांटेदार फलसे बनाये हुए है, जिसे खोलकर की जाया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टो में यह अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य खातेदारों के खेत से होकर रास्ता अपनी सुविधा के लिए चाहा गया है, ऐसी स्थिति में अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

हम अपीलांट्स के इस तर्क से व संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टस के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251 ए के तहत (absolute necessity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि ग्राम मैनसर के खेत खसरा नम्बर 705 में से 178X6 = 1068 मीटर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 31–03–2021 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर